

31.7.2023

कुलाप फरीकन उपस्थित/PU माह अर्ज  
पत्रावली 29.9.2023  
गस्त 2023 दिनांक 29.9.2023  
ने पेश हो

29.9.2023

कुलाप फरीकन उपस्थित/PU माह अर्ज  
पत्रावली 29.9.2023  
गस्त 2023 दिनांक 29.9.2023  
ने पेश हो

29.11.2023

कुलाप फरीकन उपस्थित/PU माह अर्ज  
पत्रावली 29.11.2023  
गस्त 2023 दिनांक 29.11.2023  
ने पेश हो

5.2.2024

कुलाप फरीकन उपस्थित/PU माह अर्ज  
पत्रावली 5.2.2024  
गस्त 2024 दिनांक 5.2.2024  
ने पेश हो

15.3.2024

कुलाप फरीकन उपस्थित/PU माह अर्ज  
पत्रावली 15.3.2024  
गस्त 2024 दिनांक 15.3.2024  
ने पेश हो

22.3.2024

कुलाप फरीकन उपस्थित/PU माह अर्ज  
पत्रावली 22.3.2024  
गस्त 2024 दिनांक 22.3.2024  
ने पेश हो

पत्रावली का अन्वेषण किया गया। पत्रावली पर  
अपलक्ष्य दिखाई देता है और आधार पर बाद की  
डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्माण  
अवस्था से लिखा जा सकता है। निर्माण कार्य  
जो प्रवाही नक्का से कम की जाकर आउ  
तकनीक लकील जाया जाकर रहता है।



डिक्री बगुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 302/2022 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री पतराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राज0।
2. गीरधारी पुत्र श्री पतराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राज0।
3. श्योचन्द पुत्र श्री पतराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राज0।

-वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राज0।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादीगण  
राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 22.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चान्देड़ी बड़ी तहसील रावतसर के खाता संख्या 281/258 के खसरा नम्बर 533/319 की 3.7940 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 534/345 की 0.7580 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535/346 की 0.5050 हैक्टेयर कुल 5.0570 हैक्टेयर कृषि भूमि में दर्ज ओमप्रकाश पुत्र पतराम, गीरधारी पुत्र पतराम, श्योचन्द पुत्र पतराम जाति जाट साकिन चान्देड़ी बड़ी गैरखातेदार के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र पतराम, गीरधारी पुत्र पतराम, श्योचन्द पुत्र पतराम जाति जाट साकिन चान्देड़ी बड़ी खातेदार दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.3.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर